मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-55/2002/1/9 भोपाल, दिनांक 28-2-2002

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन.
   समस्त विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल.
2. समस्त संभागायुक्त,
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. समस्त कलेक्टर,
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.

विषय.— वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में मार्गदर्शी निर्देश.

वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में कतिपय विभागों में आयी कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया उक्त बिन्दुओं का परीक्षण कर उनके संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शन दिये जाते हैं :—

बिन्दु क्रमांक 1:—

यदि किसी अधिकारी ने आलोच्य अवधि में तीन प्रतिवेदक अधिकारियों के अधीन क्रमशः 5 माह, 4 माह एवं 3 माह तक कार्य किया हो तो इस अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन क्या केवल 5 माह तक कार्य देखने वाला प्रतिवेदक अधिकारी ही लिखेगा अथवा अन्य दो प्रतिवेदक अधिकारी, जिन्होंने उस अधिकारी का कार्य 4 माह और 3 माह तक देखा वह भी उन अवधि के लिये अपनी टीप अंकित करेंगे?

मार्गदर्शन:—

उपर्युक्त बिन्दु के संबंध में विभागों का ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक 5379/3669/1 (2) दिनांक 3-7-1958 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसकी कंडिका 2 में यह प्रावधान है कि जब कोई अधिकारी वित्तीय वर्ष में एक से अधिक कार्यों का प्रभारी रहा हो तो उस अधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रभार जिसमें उसने वर्ष के तीन महीनों से अधिक समय तक कार्य किया हो, किये गये कार्य के संबंध में पृथक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा लिखी जानी चाहिये. इससे स्पष्ट है कि जिन-जिन अधिकारियों ने 3 माह से अधिक समय के लिये कार्य देखा है, उनसे संबंधित शासकीय सेवक का गोपनीय प्रतिवेदन लिखाया जाना चाहिए.

बिन्दु क्रमांक 2:—

यदि किसी अधिकारी ने प्रतिवेदक, समीक्षक अथवा स्वीकृतकर्ता अधिकारी के अधीन आलोच्य अवधि में तीन माह से अधिक अवधि तक कार्य किया हो और गोपनीय प्रतिवेदन में लेख करने वाले उक्त तीनों अधिकारी 31-3-2001 के पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे हों तथा अन्य किसी अधिकारी ने उसका उस वर्ष का कार्य 90 दिन से अधिक अवधि के लिये नहीं देखा हो तो ऐसी स्थिति में उसका गोपनीय प्रतिवेदन कौन लिखेगा? तथा सेवानिवृत्त होने के पश्चात् कितने दिन तक उन्हें मतांकन की पात्रता है.

मार्गदर्शन :—

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के बाद गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के संबंध में शासन के कोई निर्देश नहीं हैं, अतः सेवानिवृत्ति उपरांत उक्त अधिकारी से गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखाया जा सकता. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई अधिकारी प्रतिवेदन, समीक्षक या स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में अधीनस्थों के कार्य को देखा हो और वित्तीय वर्ष (31 मार्च तक) समाप्ति के पूर्व सेवानिवृत्त हो रहे हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अधीनस्थों द्वारा किये गये कार्यों के बारे में अपना अभिमत/टीप अंकित कर अपने अगले अधिकारी को सौंप देंगे. जो अधिकारी उस अधिकारी के प्रतिवेदक, समीक्षक अथवा स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में जनवरी के बाद के महिनों में पदस्थ होंगे, वे उनके पूर्व के अधिकारी द्वारा लिखी टीप को संबंधित के गोपनीय प्रतिवेदन में अंकित कर उसकी मूलप्रति उसके साथ संलग्न करेंगे, किन्तु अपना कोई अभिमत अंकित नहीं करेंगे.

2. शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.